न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 22 / 2021

अपीलार्थीगण–	***बनाम***	**उत्तरदातागण–**
1. भरत कुमार पुत्र धूंकाराम जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 2. धूंकाराम पुत्र मादाराम जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार सिवाना

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.12.2020 जो प्रकरण सं. 20 / 2020 सरकार बनाम धूंकाराम व अन्य में नायब तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्रसिंह सोढ़ा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अभिभाषक, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 27.07.2021

1. अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रकरण सं. 20 / 2020 सरकार बनाम धूंकाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.12.2020 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का इन्द्राणा द्वारा तहसीलदार सिवाना के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा इन्द्राणा के खसरा नम्बर 998 रकबा 23.75 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन ओरण सरकारी भूमि में से 0.20 हेक्टेयर भूमि पर गैर [illegible] धूंकाराम पुत्र मादा, भरत कुमार पुत्र धूंकाराम द्वारा रहवासी ढ़ाणी व बाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.28 17:05:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायलान को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल बावजूद नोटिस तामील दौरान सुनवाई अनुपस्थित रहने से नायब तहसीलदार सिवाना द्वारा गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 24.12.2020 के द्वारा 15.5/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने दिनांक 09.06.2021 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने एवं अपील अन्दर मयाद शुमार करने का निवेदन किया है।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आनन–फानन में प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट्स को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया। मौजा इन्द्राणा के खसरा नंबर 978 रकबा 0.20 हैक्टेयर किस्म ओरण की भूमि के कुछ भाग में अपीलांट्स लम्बे समय से काबिज हैं तथा रहवासी मकान व बाड़ा बना हुआ है। अपीलांट्स भूमिहीन काश्तकार होने की वजह से तथा विवादित भूमि कोश्त योग्य न होने से अपीलांट्स ने उस पर वर्ष 1982 में रहवासी मकान बनाया है। पूर्व में यह भूमि काश्त की सरकारी भूमि दर्ज थी जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में होने से अपीलांट्स के आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा आबादी का पट्टा दिनांक 08.

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.28 17:05:55 IST
Reason: SelfAttested

Low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

12.1973 को जारी किया गया। अपीलांट्स द्वारा तहसील कार्यालय में भूमिहीन काश्तकार का लिखित निवेदन करने के बावजूद धारा 91 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 01.06.2021 को हुई तब आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जिसपर दिनांक 03.06.2021 को नकलें प्राप्त हुईं। राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन आदेश जारी होने के कारण अपील के मयाद की अवधि लागू नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किये जाने पर अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय कार्यवाही मन्सुख करने का निवेदन किया किन्तु अपीलांट्स की कोई सुनवाई नहीं की गई। विवादित भूमि अपीलांट्स की कब्जाशुदा एवं पट्टाशुदा है जिसपर अपीलांट्स को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.12.2020 अपास्त किये जाने का आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब में राजकीय अभिभाषक ने प्रकट किया है कि अपीलांट्स के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम इन्द्राणा के खसरा नम्बर 978 रकबा 3.2375 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन ओरण सरकारी भूमि में से 0.20 हैक्टेयर भूमि पर रहवासीय ढाणी व बाड़ा बनाकर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट्स को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई स्वयं अपीलांट्स जानबूझकर उपस्थित नहीं हुये तथा न ही इस अपील में भी कोई ठोस आधार प्रकट किये गये हैं, जबकि वास्तविकता यह हैं कि अपीलांट्स ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया है तथा इसके प्रतिरक्षण स्वरूप कोई साक्ष्य–सबूत नहीं है। इस पर अपीलांट्स पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.28 17:05:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट्स की अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

6. हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट्स ने इस अपील के द्वारा ग्राम इन्दाणा में खसरा नंबर 978 गैर मुमकिन ओरण भूमि पर अपना कब्जा–अधिपत्य होना प्रकट किया है, तथा यह भी प्रकट किया कि उनका यह कब्जा 1982 से है तथा ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि का पट्टा विलेख भी दिनांक 08.12.1983 को जारी किया गया है। अपीलांट्स ने स्वयं ही अपने अपील मीमो के प्रथम पद में यह स्वीकारोक्ति कथन किया है कि *"मौजा गांव ईन्द्राणा के सरहद में खेत खसरा नंबर 978 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म ओरण की भूमि स्थित है। उक्त भूमि के कुछ भाग में अपीलांट्स लम्बे समय से काबिज हैं।"* अपीलांट्स ने अपने इस कब्जे का आधार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा एवं स्वयं को भूमिहीन होना बताया है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट्स के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है वह 30 गुणा 95 फीट का है जबकि हलका पटवारी की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट्स द्वारा ओरण भूमि पर 0.20 हैक्टेयर में कब्जा कर रहवासी ढाणी एवं बाड़ा बनाया गया है। अपीलांट्स द्वारा अपने इस कब्जे के समर्थन में न्यायिक निर्णय नजीर के रूप में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा खण्डपीठ विशिष्ठ अपील संख्या 233/20 जगदीश बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 09.09.2020 का उद्धरण प्रस्तुत किया जिसमें माननीय न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा भूमिहीन व्यक्ति द्वारा अतिक्रमित भूमि की प्रकृति एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए उचित कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त न्यायिक आदेश रिपोर्टेबल निर्णय के रूप में वर्गीकृत नहीं है इसके अलावा भी उक्त आदेश के कन्टेन्ट हस्तगत अपील से मेल नहीं खाते हैं। अपीलांट्स के पक्ष में आबादी भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा स्वामित्व का भूखण्ड का पट्टा जारी किया जा चुका है जिसे स्वयं अपीलांट्स ने स्वीकार किया है। अपीलांट्स द्वारा स्वयं के उक्त पट्टाशुद आबादी भूखण्ड से आगे बढकर गैर मुमकिन ओरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.28 17:05:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

की प्रतिबंधित एवं ग्राम की शामलात भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस जारी किये गये जो व्यक्तिशः तामील होने के बावजूद निर्धारित सुनवाई तिथि को जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हलका पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट्स को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 24.12.2020 के द्वारा जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय पूर्णतया विधि अनुकूल उचित होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.12.2020 को पुष्ट किया जाता है। तहसीलदार सिवाना को निर्देशित किया जाता है कि विवादित सरकारी भूमि से गैर सायलान को भौतिक रूप से बेदखल कर निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 27.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.28 17:05:55 IST
Reason: SelfAttested